

शाला दर्पण पर एम्प्लोयी आईडी. संशोधित अथवा डिलीट कार्मिक नाम करवाने पर संस्था प्रधान की ओर से दिये जाने वाला पत्र

विद्यालय का नाम एवं स्थान.....

ब्लॉक.....जिला.....यू डाईस कोड:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

संस्था प्रधान का मोबाईल न0 (अनिवार्यतः).....

श्रीमान उपनिदेशक  
राज्य शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर

विषय:- शाला दर्पण पर एम्प्लोयी आईडी/कार्मिक नाम संशोधित अथवा डिलीट करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विद्यालय में निम्न कार्मिक/कार्मिकों की एम्प्लोयी आईडी/कार्मिक नाम में निम्नानुसार सुधार करवाने का श्रम करावें।

क्रं.सं	कार्मिक नाम	कार्मिक की शाला दर्पण पर गलत एम्प्लोयी आईडी/कार्मिक का गलत नाम	कार्मिक की एस.आई.पी.एफ पर जारी सही एम्प्लोयी आईडी/कार्मिक का सही नाम	संशोधन का प्रकार एम्प्लोयी आई.डी/कार्मिक का नाम संशोधित अथवा डिलीट
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

“शाला दर्पण पर मेरी संस्था के किसी भी कार्मिक की एम्प्लोयी आईडी/कार्मिक नाम में आवश्यक संशोधन अथवा डिलीट करवाए जाना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी पर होगा और भविष्य में इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद और वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार रहूँगा। रहूँगी”